तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या : 373/2021	
04.01.2022	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.11.2021 में उसके द्वारा (1) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा के सरकारी वाहन गाड़ी नम्बर RJ19UB6144, का वर्ष 2018–19 का फिटनेस एवं प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र (PUC) की नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि (2) श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.4(6)स्टे.मो.गै./2010/जयपुर 09–09–2016 की पालना में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, बिलाड़ा के द्वारा सरकारी वाहन नम्बर RJ19UB6144 का निवास से कार्यालय आने जाने हेतु वर्ष 2017–18 में राजकोष में वेतन से प्रत्येक माह जमा करवाई गई राशि से सम्बंधित रजिस्टर/बिल की नियमानुसार प्रमाणित प्रतियों से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 516 दिनांक 29.12.21 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का प्रतिउत्तर जरिये पत्रांक 479 दिनांक 01.12.2021 के द्वारा अपीलांट को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना बाबत् वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	